# बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि ३ जुलाई १९५२.

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि ३ जुलाई १९५२ को ११ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

## अल्पसूचना प्रश्नोत्तर

## SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

### IRRIGATIONAL FACILITIES FOR VILLAGE BHADRASHILA, P. S., SASARAM.

28. SHRI JAGANNATH SINGH: Will the Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a scheme for doing earth-work on a tank in village Bhadrashila, Police-station Sasaram was passed by the Sasaram Subdivisional Agricultural Advisory Committee, a few months back;

(b) whether it is a fact that the village falls in the Intensive Block Area and the tank affords irrigational facilities to the land all around;

(c) whether it is a fact that the villagers had de-watered the tank earlier with a view to get the earth-work done before the rains;

(d) if answers to clauses (a) to (c) be in the affirmative, whether Government propose to take action for getting the work done before the rains in the interest of increasing food production?

SHRI ANUGRAH NARAYAN SINHA: (a) The Scheme for doing earth-work on a tank of Bhadrashila under Minor Irrigation scheme was passed by the Irrigation Advisory Committee, was sanctioned on 5th April, 1952 without investigation. Later it was investigated and again put up in the meeting of the Agricultural Advisory Committee. After discussion it was found that the cost of scheme was very high and therefore the scheme was dropped.

(b) Reply to first part of the question is in the affirmative. As regards the second part of the question some lands in the vicinity of the tank could be irrigated, but the cost would have been much higher and not in proportion to the area irrigated.

## विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

## LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

### बिहार लैन्ड एनक्रोचमेंट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५२।

### (१९५२ का वि० सं० ८)

### THE BIHAR LAND ENCROACHMENT (AMENDMENT) BILL, 1952.

### (L. A. BILL No. 8 OF 1952.

अध्यक्ष—प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित इस विधेयक पर उस दिन विचार का प्रस्ताव आया था और उस पर एक संशोधन का भी प्रस्ताव रखा गया था कि इसको प्रवर समिति को पुनर्विचार के लिये सौंप दिया जाय। यह प्रस्ताव अभी चल रहा है और इसका फैसला नहीं हुआ है। इसी प्रस्ताव पर आज फिर विचार आरम्भ करना है।

श्री श्रीशचन्द्र वनर्जी—लिस्ट ऑफ बिजिनेस में जो थर्ड आइटेम है उसके बारे में क्या हुआ?

अध्यक्ष—मैं अवकाश के वाद पढ़ दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, श्री नंदकिशोर नारायण लाल ने इस विल को फिर से उसी सिलेक्ट कमिटी में भेजने के लिए जो प्रस्ताव लाया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जिस सिलेक्ट कमिटी में इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है उसी के जिम्मे फिर इसे भेजने से क्या फायदा होगा। यह तो एक अड़ंगा लगाने की नीति है। लैंड एनक्रोचमेंट बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसके नहीं रहने से जमीन दिनोंदिन बन्दोवस्ती होती जा रही है। इसको रोकने की कितनी जरूरत है यह सब को मालूम है। ऐसी हालत में इस बिल को फिर उसी सिलेक्ट कमिटी को सुपुर्द करना केवल समय बढ़ाना है। उनका कहना है कि जमींदारों के हाथ में अधिकार रहने से और कानून को लोगों के नहीं जानने से जमीन की इस तरह से बन्दोवस्ती हो रही है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या कोई आदमी कानून को नहीं जानता हो तो कानून की अवज्ञा करने से उसका दायित्व मिट जाता है? आज तो यह है कि "इगनोरेंस ऑफ लो इज नो एक्सक्यूज" कोई कानून का नहीं जानने-वाला आदमी यदि कानून को तोड़ता है तो दंड भुगतने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए।

अध्यक्ष—पहले ऐसा कोई कानून नहीं था?

श्री रामनारायण चौधरी—पहले भी इस तरह का कानून था। हाईकोर्ट की रूलिंग है कि गैरमजरुआ आम जमीन की बन्दोवस्ती नहीं हो सकती है। मैं कभी कानून का पेशा करता था और मैं इसे बतला सकता हूँ। कोई गैरमजरुआ चारागाह और सड़क का

मुकदमा था और उसी पर फैसला हुआ है। आप कहते हैं कि इसके पास हो जाने से किसानों और हरिजनों को नुकसान होगा। मैं जानता हूँ कि आज दिहातों में किस तरह से जमीन की बन्दोवस्ती हो रही है और श्मशान, कब्रिस्तान और मुर्दा जलाने की जमीन भी बन्दोबस्ती हो रही है। इस तरह की बन्दोवस्ती गरीबों के साथ नहीं हो रही है वल्कि उनलोगों के साथ हो रही है जिनके पास काफी पैसा है। वे अपने पैसे के बल पर इस तरह की जमीन की बन्दोवस्ती ले रहे हैं। आप जानते हैं कि समाज की भलाई के लिए गाँव के कुल व्यक्ति को और गाँव की भलाई के लिये व्यक्ति विशेष को कुछ कुर्वानी करनी पड़ती है—थोड़ा त्याग करना पड़ता है। आज आप इसके रोकने के लिए, इस बिल के पास होने में अड़ंगा लगाने के लिए हरिजनों की दुहाई देते हैं। आज हरिजनों के साथ कितनी जमीन की बन्दोवस्ती हुई है—१ कट्ठा या २ कट्ठा और वह भी उस पर घर बनाने के लिए। अगर उस पर घर बना भी लिया हो तो उसमें कोई ऐसा सामान नहीं होगा जिससे उसको उसे छोड़ने में दिक्कत होगी। अभी तो आपको नये सिरे से मकान बनाने की योजना है और अगर कोई ऐसा मकान हो तो उसे तोड़वा कर ठीक तरह से मकान बनवा सकते हैं। इस तरह से इस बिल को फिर उसी सिलेक्ट कमिटी में भेज कर केवल इसे टालना है। उस कमिटी की ३-४ बैठक संजीदगी के साथ होकर और सब बातों पर विचार कर जिनलोगों को नोट ऑफ डिसेंट देना था उसे लेकर तब इसे हाउस के सामने लाया गया था। जरूरत हो तो इसमें कुछ संशोधन कर इसे जल्द यहाँ पास किया जाय मगर फिर उसी सिलेक्ट कमिटी में इसे भेजना एक अड़ंगेबाजी की नीति है और इसलिए मैं उसका घोर विरोध करता हूँ।

श्री रमेश झा—अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस के सामने श्री नन्दकिशोर नारायण लाल का जो प्रस्ताव है उसका मैं तीव्र विरोध करता हूँ, जिसमें यह कहा गया है कि इस बिल को फिर उसी सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाय जहाँ इसके हर पहलू पर विचार कर यह बिल यहाँ पेश हुआ है जिसमें हाउस इसे स्वीकार करे। अगर किसी संशोधन की जरूरत है तो यहाँ इस सदन में वह संशोधन हो सकता है लेकिन जो तरीका अभी अख्तियार किया जा रहा है उससे केवल विलम्ब होगा। यह एक बहुत जरूरी बिल है और इसे बहुत पहले पास हो जाना चाहिये था। राजस्व मन्त्री ने जिस उद्देश्य से इस बिल को सभा के सामने लाया है, विलम्ब होने से वह बना ही रहेगा और जमीन्दार लोग गैरमजरुआ जमीन को बन्दोवस्त कर जो अन्याय कर रहे हैं वह कायम रहेगा। लैंड रिफार्म ऐक्ट के लागू होने पर जमींदार तो चले जायेंगे

पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लगा कर जायेंगे। इसको फिर से उसी सिलेक्ट कमिटी में भेजने के लिये माननीय प्रस्तावक ने यह दलील पेश की है कि इससे हरिजनों को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उनको जानना चाहिये कि जितनी जमीनें बन्दोबस्त की गयी हैं वे अपर क्लास के और धनीवर्ग के लोगों के हाथ की गयी हैं। हरिजनों के पास इतना पैसा कहाँ है कि वे जमीन्दारों को देकर जमीन बन्दोबस्त ले सकें। कहीं कहीं इक्के दुक्के ऐसा केस हो सकता है जिसमें हरिजनों ने जमीन की बन्दोबस्ती ली हो, लेकिन इनकी तायदाद काफी नहीं होगी। इस बिल के पास हो जाने से अपर क्लास के लोग ही ज्यादातर ऐफेक्टेड होंगे।

जहाँ तक इसमें लिमिटेशन रखने के बारे में उन्होंने कहा है और बताया है कि लिमिटेशन अगर नहीं रखा जाता है तो सिविल कोर्ट में जाने से दिक्कत पैदा होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि देहात की जमीन की स्थिति को लेकर आप आसानी से सारी बातें समझ सकते हैं। १२ वर्ष का अगर आप हवाला देते हैं तो आपको समझना चाहिये कि जमीन लेने वाले ऐसे बेवकूफ नहीं थे कि वे इधर की ही रसीद जमीन्दारों से लेते। वे तो बारह वर्ष पहले की जाली रसीद जमीन्दारों से लिखा चुके हैं जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है लिमिटेशन की बात सुनते ही वे लोग जमीन्दारों से पहले की रसीद बनवा कर ले लेंगे। ऐसी हालत में शायद ही जमीन बच जायगी जो सरकार ले सकेगी।

दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने बन्दोबस्ती ली है और आप यह कह देंगे कानून के द्वारा कि जिन लोगों का घर बारह वर्षों से पहले से बना हुआ है उसकी न तो जमीन ली जायगी और न घर ही उठवाया जायगा तो वैसी हालत में क्या होगा। आप जानते हैं देखते ही देखते उन जमीन्दारों पर कानून बनते ही बनते बारह वर्षों का पुराना घर भी बन जायगा। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि देहातों की यह आम बात है कि लोग यह साबित करने को तैयार हो जाते हैं जब कभी मौक़ा आता है कि बारह वर्ष या उससे पुराना घर वे नई जमीनों पर सबूत कर सकें तो वे ऐसा करने में आसानी से सफल भी हो जाते हैं। ऐसी बातें दिहातों में आये दिन हुआ करती हैं।

इतना ही नहीं वे मोकदमें में भी इस बात को साबित कर लेते हैं। पुराने खैर, बाँस, लकड़ी आदि ले आकर घर बना देते हैं और इस कानून के द्वारा अगर उन्हें यह मालूम हो जाय कि घर बनाने से जमीन बच जायगी तो ऐसी तमाम जमीनों

पर घर बन जायगा। इसलिये इस बिल का कोई उद्देश्य नहीं रह जायगा। मैं माननीय मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस रूप में यह बिल सिलेक्ट कमिटी से पास होकर आया है उसी तरह से रहने दिया जाय और मैं प्रस्तावक महोदय, श्री नन्दकिशोर नारायणजी, से भी यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि अब और ज्यादे विलम्ब व्यर्थ का प्रवर समिति में भेज कर नहीं किया जाय। अगर कुछ शाब्दिक हेरफेर करना हो तो सदन में ही किया जाय।

श्री जगन्नाथ सिंह † — अध्यक्ष महोदय! मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ जैसा कि हमारे दोस्त श्री राम नारायण चौधरी ने कहा कि श्री नन्दकिशोर नारायण ने अड़ंगा लगाने के लिये अपना संशोधन पेश किया है। मैं इसका कोई कारण नहीं देखता हूँ। उनके प्रस्ताव पर हमला किया गया है। मैं मानता हूँ कि मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट में कुछ कहा है। लेकिन इससे बचने का भी उपाय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनक्रोचमेन्ट हुआ है उसको लेने में डिसक्रिशन से काम लिया जायगा ताकि हरिजनों को इससे नुकसान न हो। इसलिये मैं कोई कारण नहीं देखता हूँ जिससे हरिजन लोग घबड़ाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि एक प्रोविजन इसमें जोड़ देना चाहिये कि जिलाधीश को अनुमति देने का खास अख्तियार दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय— कैसे जोड़ दिया जायगा, जब तक कोई सदस्य संशोधन नहीं उपस्थित करेंगे?

श्री जगन्नाथ सिंह— इस तरह का संशोधन मैं ला सकता हूँ या सरकार ला सकती है। इस बिल को फिर से सेलेक्ट कमिटी में भेजने की जरूरत हम बिलकुल नहीं समझते हैं, इसलिये कि अगर कोई संशोधन इस तरह का किया जायगा जैसा कि श्री चौधरी चाहते हैं तो बिल लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा। इन-क्रोचमेन्ट ऐक्ट बनाने के पहले जमीन्दारी उन्मूलन के समय जमीन्दारों ने जमीनों की बन्दोबस्ती कर दी है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह— आपका तजुरबा क्या है?

श्री जगन्नाथ सिंह— अब मेरा जो तजुरबा है वह मैं हाउस में रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव यह है कि जमीन्दारी उन्मूलन के समय बड़ी बेरहमी के साथ किसानों की भूमि को जमीन्दारों ने बन्दोबस्त किया था जिसके चलते बहुत

† सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

ज्यादे किसानों को कठिनाई उठानी पड़ती है। यही सबब है, यही कारण है कि यह संशोधन सरकार के पास इस रूप में उपस्थित करना पड़ा। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह बिल दोनों पर यानी पहिली या पिछली बन्दोवस्ती पर भी लागू हो, जैसा कि हमारे दोस्त श्री नन्दकिशोर नारायण का ख्याल है। अगर इनके सुझाव पर चला जाय तो जमीन ही नहीं मिलेगी इसके अलावे जैसा कि उन्होंने बताया है कि उन लोगों को बड़ी कर दिया जाय।

यह कौमन नौलेज की बात है कि गैरमजरूआ जमीन वही है जो जमीन वाटरवेज, परती, गोचर तथा श्मशान घाट है और श्री नन्दकिशोर नारायण लालजी ने उसी की ओर अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में इशारा किया है। मैं उनके सुझाव के पक्ष में नहीं हूँ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र*—इसमें कोई शक नहीं कि जो बिल अभी हाउस के सामने है उसकी बहुत जरूरत है ऐसे समय में जब जमींदारों की ओर से गैरमजरूआ जमीन बन्दोवस्त की जा रही है। लेकिन मुझे डर है कि जिस सहूलियत को पैदा करने के लिए सरकार यह कानून बना रही है शायद वह पूरी न हो सके और सरकार मुकदमेबाजी में फँस जाय। क्लोज (डी) और (बी) में ये वर्ड्स हैं "lands recorded for the use of the community in the Record-of-Rights prepared under various Tenancy Laws" यानी गैरमजरूआ आम, गोचर, श्मशान, पैन, बाँध, आहर। क्लोज (बी) में यह भी है कि "lands over which the public or community has right of easement" क्लोज (डी) के डेफिनिशन के मुताबिक पब्लिक प्रोपर्टी पर यदि इनक्रोचमेंट हो तो उसे आप हटा सकते हैं। तीन प्रकार की जमीन होती है जैसे रेलवे या गवर्नमेंट लैण्ड, या लोकल बडीज की जमीन। कानून के मुताबिक यदि ६० वर्ष तक किसी के पास रेलवे या गवर्नमेंट की जमीन रह जाय तो उस जमीन पर उसकी हकीयत हो जाती है और इसी तरह लोकल बडीज की जमीन अगर किसी के पास ३० वर्षों तक रह जाय तो उसे उस पर हक पैदा हो जाता है। इसके विषय में कोई एमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है। दूसरे प्रकार की जमीनों के लिए लिमिटेशन ऐक्ट अप्लाई करता है और बारह वर्ष के बाद जिसके कब्जे में जमीन हो उसे राइट हो जाता है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब क्लाजेज (ए), (बी), (सी) और (इ) को आप नहीं अमेंड करते हैं और गैरमजरूआ जमीन को यदि आप ले-लेंगे इस अमेंडमेंट के जरिए

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

तो शायद यह आर्टिकिल ३१ ऑफ दी कन्स्टिच्यूशन से कनफ्लिक्ट करेगा। इसमें लिखा है—"No person shall be deprived of his property except by authority of law".

Article 31(2) में है—"No property moveable or immoveable, including any interest...shall be taken possession of or acquired for public purpose under any law authorising taking of such possession or of such acquisition unless the law provides for compensation for the property taken possession of or acquired". यानी जिस जमीन पर एक आदमी ने अपना अधिकार जमा लिया है तो वह प्रोपर्टी उसकी हो जाती है और जब आप उसे ले-लेना चाहते हैं तो आपको कम्पेन्सेशन देना होगा और बगैर कम्पेन्सेशन दिये नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्टिकिल ३१ से कनफ्लिक्ट पैदा हो जायगा। किसी भी कोर्ट के सामने यह चीज जायगी तो—और जैसा कि हम लोगों का अनुभव है यह जमीन ऐसे लोगों ने दखल की है जिनकी काफी धाक देहात में है—यह कानून आप-से-आप टूट जायगा और इसके लिए कोर्ट को कुछ भी दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि अगर किसी की जमीन गैरकानूनी रूप से बेदखल की जाय तो आप उसका ऐसेसमेंट या एक्विजेशन कर सकते हैं। यही दो उपाय है। ऐसेसमेंट के सम्बन्ध में यह बिल और ऐक्ट कहता है कि केवल १२ वर्ष की अवधि तक आप ऐसेस कर सकते हैं मगर एक्विजिशन का क्लोज कुछ स्ट्रींजेन्ट है। प्रेजेंट ऐक्ट के मुताबिक अगर १२ वर्ष से अधिक दिन तक किसी के दखल में जमीन रही तो आप ऐसेसमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमेंडमेंट के बाद अगर १०० वर्ष तक जमीन किसी के दखल में रही भी तो कलक्टर को आप हक दे देते हैं कि उसे एविक्ट कर दें। लोकल बडीज की जमीन से ३० वर्ष के बाद कोई एविक्ट नहीं कर सकता है। तो कहीं ऐसी बात नहीं है और इसको समझने में कठिनाई है।

उसके बाद मैं समझता हूँ कि क्लॉज ९ अगर सेलेक्ट कमिटी के सामने जायगा तो पुनः विचार होगा।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—ऑन ए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, सर, जो बिल पेश किया गया है उसके आधार पर सेलेक्ट कमिटी ने रिपोर्ट पेश की है। मगर लैंड इनक्रोचमेंट ऐक्ट के जितने सेक्शन्स हैं सभी पर आज बहस नहीं हो सकती है। सारे ऐक्ट को डिसकस करना मुनासिब नहीं है।

अध्यक्ष—सारे ऐक्ट का जिक्र नहीं किया जा रहा है।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय (राजस्व मंत्री)—डेफिनिशन्स को रिव्यू कर दिया और उसके बाद माननीय सदस्य क्लॉज ९ पर बोल रहे हैं। Discussion should be confined to the points raised in the Bill before the House.

अध्यक्ष—हम इसको मानते हैं कि discussion should be confined to the points discussed by the Select Committee on the Bill before the House.

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—अगर सेलेक्ट कमिटी को जिस दृष्टिकोण से देखना था उस दृष्टिकोण से उसने देखा है तो क्या फिर उसके पास रेफर नहीं किया जा सकता है ?

गवर्नमेंट का यह कहना गलत है कि दूसरा सेक्शन्स ऑफ दी एक्ट डिसकसन में नहीं आ सकता है।

SHRI KRISHNA BALLABH SAHAY (Revenue Minister): Even if the Bill be referred back to the Select Committee only the provisions of the Bill will be discussed and not those of the Act.

अध्यक्ष—हाँ, बिल के क्षेत्र के बाहर सेलेक्ट कमिटी को जाने का अधिकार नहीं है।

श्री मुहम्मद ताहीर—मैं एक प्वाएंट को क्लियर कराना चाहता हूँ। हो सकता है कि जो एमेंडमेंट है वह दूसरे एक्ट से कनफ्लिक्टींग हो। इस हालत में हम उसको साफ करने के वक्त दूसरे एक्ट को रेफर कर सकते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष—हो सकता है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब बिल के खंडों को साफ करने के लिए दूसरे एक्ट के उपबंधों का उल्लेख करना पड़ता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र—शायद हम अपनी बात को साफ रूप में सदस्यों को नहीं समझा सके और इस कारण राजस्व मंत्री को प्वांएट ऑफ आर्डर रेज करना पड़ा।

क्लौज ९ के अन्दर "अनऔथोराइजेबुल ऑक्युपेशन" का शब्द आता है लेकिन जो एमेंडिंग बिल हाउस के सामने है उसमें ये वर्ड्स को डिफाइन नहीं किया गया है। उस डेफिनिशन के सम्बन्ध में हम सेक्शन ९ को पढ़ना चाहते थे। उसमें है "Any person who unauthorisedly occupies any land which is a public property shall be deemed to have committed an offence—shall, on

conviction, be liable to a fine which may extend to Rs. 1,000 ........etc..."

यदि किसी आदमी ने १२ वर्ष पहले किसी जमीन की बन्दोबस्ती ली और उसने उस वक्त यह जानकर बन्दोबस्ती ली कि मालिक को हक है उस जमीन को बन्दोवस्ती में देने का और उसको यह नहीं मालूम हो कि इससे कोई कानून भंग हो रहा है जिससे कोर्ट से उसको सजा मिल सकती है, तो उसको अब यह ऐमेंडमेंट पास कर यह कहना कि तुमने कानून भंग किया है और इसके लिए सजा होगी, ठीक नहीं है। यह अजीब चीज है। यदि हम ऐसा कानून जल्दीबाजी में बनावें जो कोर्ट से रद्द हो जाय तो हम लोग लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं।

Section 10 में है "Nothing contained in this Act shall be construed as exempting any person unauthorisedly occupying land from liability to be proceeded against under law for the time being in force". मानो फोर एक्जाम्पुल पेनल कोड के अन्दर पब्लिक न्युसेंस कमीट करने के कारण सजा होती है। अगर इस डेफिनिशन को आप मानते हैं तो दूसरी मर्तबा दूसरे ऐक्ट के अन्दर भी उसको सजा हो जायगी। एक ऑफेंस के लिये एक आदमी को दो बार सजा नहीं हो सकती है। आप आर्टिकल २० ऑफ दी कंस्टिच्यूशन को पढ़ें। "No person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once". यदि आप सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट को मानते हैं तो दो कानून के द्वारा एक ऑफेंस के लिये सजा होगी।

ऐसी बात आप सेक्शन ६ में देखेंगे। सेकशन ५ में सेविंग क्लॉज कर दिया गया है। अगर किसी आदमी को आप रेस्ट्रेन करते हैं, कलक्टर जाय हटाने के लिये या उसके मातहत के कोई अफसर जायें हटाने के लिये तो उसका प्रोसिक्यूशन १८६ पेनल कोड के अनुसार हो सकता है। लेकिन क्लॉज ५ में कहते हैं कि "Provided that no person committed or imprisoned under this section shall be liable to prosecution under sections 186, 187 and 188 in respect of the same facts."

सेक्शन ५ में आपका ध्यान उस ओर था। एक आदमी को दो बार सजा नहीं होनी चाहिये। लेकिन सेक्शन १० के डेफिनिशन को बदल देने के बाद आपको अधिकार हो जाता है कि जो एक बार सजा पा चुका है वह इस कानून के पास हो जाने के बाद

दूसरी मर्तबा सजा भुगतेगा। यह कंस्टिच्यूशन के खिलाफ है। अगर सेलेक्ट कमिटी इस पर ठीक तरह से विचार करती तो गड़बड़ी नहीं होती। मैं समझता हूँ इन्हीं कठिनाइयों पर गौर करना है। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार के कानून नहीं पास होने से बड़ी गड़बड़ी हो रही है और होने की भी सम्भावना है। उस गड़बड़ी को रोकने के लिये कानून बनाया जाय। लेकिन ऐसा न हो कि यहां के सदस्यों के विचार के अनुकूल जो कानून बने वह जिस इच्छा से, जिस ध्येय से बने वह ध्येय पूरा न हो। इसलिये मैं समझता हूँ कि इन सब कठिनाइयों को देखते हुए इसको पुनः सेलेक्ट कमिटी में भेज कर विचार किया जाय।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह †— अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन को हमारे दोस्त श्री नन्द-किशोर नारायण लाल ने पेश किया है उसको देखते हुए यह रिपोर्ट फिर सेलेक्ट कमिटी में पुनर्विचार के लिये भेज दी जाय। मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस कानून में जो दिक्कत है उसको हमारे दोस्त श्री विश्वनाथ मिश्रजी ने इस सभा के सामने रखा है और मैं समझता हूँ सरकार को उस पर काफी गौर करने की गुंजाइश है। कोई भी कानून को जल्दी में बनाने से जरा खतरा है। मैं अपने नौजवान दोस्त श्री त्रिवेणी कुमारजी से सहमत नहीं हूँ। वे कहते हैं कि इस कानून को बनाने से गरीबों को कोई खतरा नहीं होगा। सिर्फ बड़े लोगों को इससे नुकशान होगा। वे अभी नौजवान हैं, इसलिये उनकी जानकारी कम हो सकती है। बड़े लोग नफा उठा चुके। उन्हें जो कुछ इस जमीन से पैदा करना था वह वे कर चुके। दो कट्ठा चार कट्ठा और कहीं-कहीं दो बीघा चार बीघा गैरमजरुआ जमीन को बन्दोबस्त कर चले गये। अब आप लड़िये, झगड़िये और इसका फैसला कीजिये। जिस जमीन्दार ने बन्दोबस्त किया उस पर इस कानून के मुताबिक कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कोई वजह नहीं थी कि वे अपनी गैरमजरुआ जमीन को जोत में लगा कर नफा नहीं उठाते। जब आप कानून बनाते हैं तो आपको सोचना होगा कि उसका क्या असर पड़ता है। हमारे दोस्त श्री जगन्नाथ सिंह बड़े परेशान हैं कि जल्द-से-जल्द यह कानून पास हो जाय और अखबार में निकल जाय कि कानून बन गया। लेकिन कानून का क्या असर होगा, इससे क्या फायदा होगा यह देखना है। ऐसा न हो कि यहां कानून बन जाय और देहातों में लंका कांड हो जाय। मुझे तो भाई श्री राम नारायण चौधरी जैसी वकालत करने की बदकिस्मती नहीं हुई है। वह लिमिटेशन ऐक्ट के

† सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

प्रोविजन्स को नहीं मानने की बात कह सकते हैं और अपना नया नुस्खा निकाल सकते हैं। हमलोग देहाती आदमी हैं समझते हैं कि इंडियन ऐक्ट्स को सुपरसीड करना हमारे बूते के बाहर की बात है। भले ही सरकार को इस तरह का ऐडभाइस मिले और वह ऐसा कर सके। हमारा ख्याल है कि यहाँ के हाई कोर्ट और दूसरी-दूसरी जगहों के हाई कोर्ट्स ने बहुत कुछ रूलिंग्स इस सम्बन्ध में दी है। एक रूलिंग यह है कि जिस गैरमजरुआ जमीन पर जमीन्दार का पहले से हक है, वह जब चाहे उसको बन्दोबस्त कर सकता है। हमारा ख्याल है कि जो जमीन पब्लिक यूस की नहीं हो बल्कि किसी वजह से गैरमजरुआ रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज हो गयी है उस जमीन को भी जमीन्दार चाहे तो बन्दोबस्त कर सकता है। हमारे माल मन्त्री के जिले में हजारों एकड़ जमीन हैं जो दर्ज की हुई हैं। गैरमजरुआ महादानी ऐसी बहुत-सी जमीन हैं जो भुतहा हो गयी हैं। हम अगर जमीन्दार हैं तो हम समझते हैं कि हमें हक है जमीन बन्दोबस्त कर सकते हैं और हमने बन्दोबस्त कर दिया। हमारे यहाँ बिहार में, छपरा में भी इस तरह की जमीनें हैं। ग्रो मोर फुड के जमाने में राष्ट्र को मदद करने के लिये कि पैदावार बढ़े हमने उन जमीनों को बन्दोबस्त कर दिया, अपनी जमीन ले ली, अब उसका असर उस लेनेवाले पर पड़ेगा। जिसने रुपया लेकर बन्दोबस्त किया उसको क्या करने जा रहे हैं? रुपया लेनेवाला तो रुपया लेकर खिसक गया।

उनको बेईमान समझें मगर बेवकूफ नहीं समझें। वे इतने होशियार हैं कि पहले ही रुपया लेकर भाग गये। हमारे नन्दकिशोर भाई ने कहा कि इस कानून का असर देहातों में गरीब तबके लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। आपको इन सब बातों को सोचना होगा और सोचकर अपनी राय कायम करें तो उचित होगा। हमारे दोस्त जगन्नाथसिंह जी ने फिर से इसे सेलेक्ट कमिटी में भेजने का विरोध किया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि डिस्ट्रीक्ट मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रीशन रहेगा कि वह गरीब तबके के लोगों को अगर चाहे तो माफ कर दे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह आप किस कानून के मुताबिक ऐसा कहते हैं। इसके लिये आपको संशोधन देना चाहिए था। आज हम अगर ऐमेंडमेन्ट देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। आपने इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स ऐंड रिजन्स को देखने की कोशिश नहीं की। इसलिये मैं चाहता हूँ कि लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए इस कानून पर पुनः विचार करना आवश्यक है और यह विचार सेलेक्ट कमिटी में हो सकता है।

इसलिये इसको दो या तीन रोज के लिये सेलेक्ट कमिटी में भेज दिया जाय और वह जल्द से जल्द इस पर अपनी राय दे और वहां से आने के बाद इसको पास कर दिया जाय।

[ अन्तराल ]

---

## सांसद परिपाटियों के पालन के सम्बन्ध में सभा-सदस्यों तथा समाचार पत्रों के दायित्व पर अध्यक्ष का वक्तव्य।

## STATEMENT MADE BY THE SPEAKER IN RESPECT OF THE OBLIGATIONS OF THE MEMBERS OF THE ASSEMBLY AND THE PRESS RELATING TO OBSERVANCE OF PARLIAMENTARY CONVENTIONS.

अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण,

एक स्थानीय अंग्रेजी पत्र ने अपने २३ जून १९५२ के प्रातः संस्करण में एक संकल्प प्रकाशित किया है जिसकी सूचना इस सभा के सदस्य, श्री योगेश्वर प्रसाद खलिस ने मेरे पास दी थी। यह संकल्प मेरे द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बाद भी प्रकाशित हुआ। मैंने इसे इस कारण अस्वीकृत किया कि इससे सभा के कुछ नियमों का उल्लंघन होता था। किसी सदस्य के लिये अपने प्रस्तावों, प्रश्नों या संकल्पों को तब तक प्रकाशित करने की मनाही है, जब तक कि ये अध्यक्ष द्वारा गृहीत न जाय। यह सांसद परिपाटी है। किन्तु यह मनाही केवल सदस्यों के लिये ही नहीं है, प्रेस के लिये भी है। यदि कोई संकल्प, प्रश्न या प्रस्ताव किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाय और बाद में यदि वह सभा की कार्यवाही में न आवे तो इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वह अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया और इस कारण समाचार पत्रों में अध्यक्ष आलोचना का पात्र बन सकता है। वर्त्तमान परिस्थिति में मेरे द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बाद भी उक्त संकल्प प्रकाशित किया गया है जिससे उपरोक्त परिपाटी का उल्लंघन हुआ है। समाचार रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख तो नहीं है कि माननीय सदस्य ने इस संकल्प को प्रकाशित किया पर इतना स्पष्ट है कि उस समाचार पत्र के संवाददाता द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। मैंने इस विषय को सदन की जानकारी में लाना इसलिए उचित समझा कि माननीय सदस्य इस लाभ-प्रद परिपाटी के पालन में सजग रहें। संबन्धित समाचार पत्र से यह कहा जायगा कि वह फिर से ऐसी गलती न करे। इसके अतिरिक्त इस विषय में मैं और कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता।